प्रेस प्रकाशनी

सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 आज से लागू होगा

1 दिसंबर 2007

भारत सरकार ने 1 दिसंबर 2007 को सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 के लागू होने की तारीख अधिसूचित की है। सरकारी प्रतिभूति विनियमावली, 2007 भी इसी तारीख से अर्थात 1 दिसंबर 2007 से प्रभावी होगी।

आपको यह ज्ञात होगा कि सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित समेकन और कानून में संशोधन करने तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इसके प्रबंधन की दृष्टि से संसद ने सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (अधिनियम) का अधिनियमन किया। अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की सहमति 30 अगस्त 2006 को प्राप्त हुई तथा इसे सामान्य सूचना के लिए 31 अगस्त 2006 को भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II - खंड I में प्रकशित किया गया।

यह अधिनियम , केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिनियम आरंभ होने से पूर्व अथवा इसके पश्चात सृजित और जारी प्रतिभूतियों पर लागू होता है तथा तदनुसार लोक ऋण अधिनियम, 1944 भारतीय प्रतिभूति पर लागू होना समाप्त होगा। भारतीय प्रतिभूति अधिनियम, 1920 को रद्द कर दिया गया है ।

नया अधिनियम और विनियमावली, विभिन्न तरीकों से, भारतीय प्रतिभूति बाज़ार को विस्तृत और गहन करने तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रभावी नियंत्रण में सहायक होगा, जैसे कि :

(i) सरकारी प्रतिभूतियों को पृथक अथवा पुनर्गठित करना;

(ii) संघटक सहायक सामान्य खाता बही (सीएसजीएल) खातों के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशकों के लाभकारी स्वामित्व को विधिक मान्यता;

(iii) एसजीएल सुविधा के दुरुपयोग की स्थिति में सहायक सामान्य खाता बही धारकों को क्रय-विक्रय हेतु अस्थायी अथवा स्थायी रूप से रोक लगाने के रिज़र्व बैंक अधिकार का सांविधिक समर्थन :

(iv) ऋण लेने के लिए सरकारी प्रतिभूति को गिरवी रखना, दृष्टि बंधक रखना या उसका धारणाधिकार देने की सुविधा;

(v) धारक की मृत्यु होने की स्थिति में प्रतिभूति धारण करना अथवा उसकी राशि प्राप्त करने हेतु नामन की सुविधा प्रदान करना;

(vi) सरकारी प्रतिभूति के धारक की मृत्यु की अवस्था में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दस्तावेजों जैसे मृत्युपूर्व धारक द्वारा जारी वसीयतनामा (विल), पंजीकृत परिवार समझौता विलेख, उपहार विलेख, बंटवारा विलेख इत्यादि के आधार पर सरकारी प्रतिभूति के स्वत्वाधिकार हक को मान्यता;

(vii) सरकारी प्रतिभूतियां धारित करने के प्रयोजन से किसी अवयस्क के अभिभावक के रूप में उसकी माता को मान्यता; और

(viii) भारतीय रिज़र्व बैंक को सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित जानकारी मंगवाने, निरीक्षण करने और निदेश जारी करने के सांविधिक अधिकार।

वित्तीय समावेशन के लिए सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी आधारित भारतीय रिज़र्व बैंक के कृषि बैंकिंग महाविद्यालय का इ-पोर्टल शुरू किया गया

20 दिसंबर 2007

श्रीमती उषा थोरात, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 20 दिसंबर 2007 को औपचारिक रूप से बैंक के वित्तीय समावेशन समर्थित सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी (आइसीटी) पर बैंक के प्रयासों का इ-पोर्टल (www.ict.cab.org.in) शुरू किया। यह इ-पोर्टल पुणे में स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक की अग्रणी प्रशिक्षण संस्था, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी) द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक हमेशा बैंक सुविधा रहित जनसंख्या तक पहुंचने के लिए बैंकों को सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी (आइसीटी) का प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रोत्सहित करती रही है। इस इ-पोर्टल को इस क्षेत्र में बैंकों के बीच अपनी जानकारी और अनुभव बाँटने के एक जरिए के रूप में देखा जा रहा है और इसीलिए अबतक सेवा रहित जनसंख्या को मूल वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में कई गुना बढ़ावा देने में सहायक होने की क्षमता है।

इस इ-पोर्टल में भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए नीति प्रयासों, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा उनका कार्यान्वयन, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव, संबंधित लेख/अनुसंधान पेपर, मामला अध्ययन, प्रस्तुतीकरण और विडियो क्लिप आदि सूचना संग्रह, आरंभ की जानेवाली विभिन्न संबंधित नयी गतिविधियाँ और समाचार के विषय, सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी के समाधान और अन्य उपयोगी जानकारी जैसे विभिन्न उपयोगी खंड हैं।

उप गवर्नर द्वारा कृषि बैंकिंग महाविद्यालय के वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता कक्ष के लिए इ-गेटवे भी शुरू किया गया। यह कक्ष देश में वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता दोनों को सुविधा प्रदान करने वाले एक केंद्र के रूप में कार्य करेगा।